

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3480
उत्तर देने की तारीख 11.08.2025

अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन

3480. श्रीमती डी. के. अरुणा :

श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी :

श्री इटैला राजेंदर :

श्रीमती पूनमबेन माडम :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार का स्वामी विवेकानंद के शिकागो संबोधन (11 सितंबर, 1893) के उपलक्ष्य में सितंबर, 2025 में ज्ञान भारतम मिशन के एक भाग के रूप में 'पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना' शीर्षक से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन आयोजित करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन के प्रमुख विषय और फोकस क्षेत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए उपाय किए हैं; और
- (घ) यदि हां, तो डिजिटलीकृत पांडुलिपियों की कुल संख्या और स्थापित पांडुलिपि संसाधन केंद्रों और पांडुलिपि संरक्षण केंद्रों की कुल संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

- (क): जी हाँ, सरकार ने सितंबर 2025 में 'पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना' शीर्षक से पहली बार अंतरराष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। यह कार्यक्रम 11 सितंबर, 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण की 132वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने की योजना है।

(ख): इस सम्मेलन का उद्देश्य विश्व भर के विद्वानों, इतिहासकारों, पांडुलिपि विशेषज्ञों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को मंच प्रदान करते हुए भारत की विशाल और विविधतापूर्ण पांडुलिपि विरासत का पता लगाना, परिरक्षण और संवर्धन करना है। सम्मेलन के प्रमुख विषय और फोकस क्षेत्र इस प्रकार हैं:

1. प्राचीन लिपियों का अर्थ निकालना: सिंधु, गिलगित और शंख
2. सर्वेक्षण, प्रलेखन, मेटाडेटा मानक और डिजिटल संग्रहण
3. पांडुलिपि विज्ञान और पुरालेख विज्ञान, कोडिकोलॉजी
4. डिजिटलीकरण उपकरण, प्लेटफॉर्म और प्रोटोकॉल (एचटीआर, एआई, आईआईआईएफ)
5. पांडुलिपियों का संरक्षण और जीर्णोद्धार
6. पांडुलिपियों को डीकोड करना: भारतीय ज्ञान पद्धति तक पहुंचने का मार्ग
7. सांस्कृतिक कूटनीति के साधन के रूप में पांडुलिपियां
8. पांडुलिपि परिरक्षण और पहुंच के लिए कानूनी और नैतिक ढांचे

(ग): जी हाँ, सरकार ने भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत के परिरक्षण और संवर्धन के लिए अनेक उपाय किए हैं। जैसे कि:

1. ज्ञान भारतम जैसी संस्थाओं की स्थापना और समर्थन करना जो देश भर में दुर्लभ और अप्रकाशित पांडुलिपियों के प्रलेखन, संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रकाशन की दिशा में कार्यरत हैं।
2. पांडुलिपि विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अनुसंधान और सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए संगोष्ठियां, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित करना।
3. विभिन्न भाषाओं और लिपियों में पांडुलिपियों का प्रलेखन और संरक्षण करने के लिए क्षेत्रीय और स्थानीय प्रयासों का समर्थन करना।
4. वियतनाम, थाईलैंड और जापान के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समझौता ज्ञापन
5. इन पहलों का उद्देश्य भारत की अमूल्य पाण्डुलिपि विरासत की रक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि यह राष्ट्र की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत में योगदान देती रहें।

(घ): 2003 से अब तक कुल 3.50 लाख पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। अब तक 92 पांडुलिपि संरक्षण केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से 42 केंद्र वर्तमान में सक्रिय हैं। इसके अतिरिक्त, 93 पांडुलिपि संसाधन केंद्र भी हैं, जिनमें से 37 वर्तमान में सक्रिय हैं।
